

Order Sheet [Contd]

प्र0क0 07/2010

te of
Order or
Proceeding

Order or proceeding with Signature of presiding

Signature of
Parties or
Pleaders where
necessa

8-7-13

परिवादी विद्युत विभाग द्वारा कार्यापालन यंत्री की ओर से
सहायक यंत्री/कनिष्ठ यंत्री आर. रमेश बोर सहित उनके
अधिवक्ता श्री विकारन कोंकर उप0।

आरोपी/गण सहित/द्वारा अधि0 श्री. माता सिंह
उप0/आरोपी अनुपस्थिति। K. P. Ration Ad

प्रकरण नेशनल/मेगा लोक अदालत में पेश हुआ है।

यह परिवाद विद्युत विभाग द्वारा धारा 135(1)क विद्युत
अधिनियम के तहत आरोपीपक्ष के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।
इस परिवाद में आरोपी पक्ष पर धारा 135(1)क विद्युत अधिनियम
का आरोप लगाया गया है।

उक्त परिवाद मामले में विद्युत विभाग की ओर से उक्त
कार्यपालन यंत्री की ओर से सहायक यंत्री/कनिष्ठ यंत्री ने अपने
अधिवक्ता सहित धारा 152 विद्युत अधिनियम के तहत आवेदन पेश
कर व्यक्त किया है कि इस मामले में विद्युत उर्जा की राशि
नेशनल/मेगा लोकअदालत के मान से व समन शुल्क जमा किया
जा चुका है। अतएव लोक अदालत में उक्त प्रकरण समाप्त किया
जावे।

सुनाया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया।

विचारोपरांत धारा 152 विद्युत अधिनियम का आवेदन
स्वीकार योग्य होने से उसके आलोक में आरोपी पक्ष को दोषमुक्त
किया गया। आरोपी का अगर जमानती/गिरफ्तारी वारंट जारी
हो तो उसे अदम बापस बुलाने हेतु पत्र अविलंब जारी हो।

प्रकरण में कोई जप्ताशुदा सम्पत्ति नहीं है।

परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क0-1

एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम

गोहद, जिला भिण्ड